FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम आमेट

किस्म मुकदमा रजोगम्यथ बनाम राज. सरकार जरिये तहसीलदार

नं. 56/2024/24 सन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
20-06-24	सरिश्ते से रिपोर्ट होकर प्रार्थना पत्र पेश हुआ। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर जरिये नोटिस अप्रार्थीगण को तलब किया जाकर पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 28-06-24 को पेश हो।	
28-06-24	पत्रावली पेश हुयी। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित अप्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थी नं. 2 योगेश कुमार ने स्वयं उपस्थित होकर सहमति पेश की। अप्रार्थी नं. 1 की तरफ से सरकार पैरोकार तहसीलदार कुम्भलगढ़ स्वयं उपस्थित। सरकार पैरोकार ने जवाब पेश नहीं कर अनापत्ति जाहिर हस्ताक्षर आदेशिका पर करवाये गये। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया। पत्रावली फैसल शुमार हो प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर बाद प्रति दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी

आमेट (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी,जिला बून्दी राज0

46 / प्रा.पत्र / 2024
दायरा दिनांक 20.06.2024

पीठासीन अधिकारी
श्री कैलाश चन्द गुर्जर (RAS)

बउनवान

रमेशचन्द पुत्र हरिराम गुप्ता जाति महाजन निवासी देई तहसील नैनवा जिला बून्दी राज0

—प्रार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी।
2. योगेश कुमार पुत्र शिवचरण गुप्ता जाति महाजन निवासी महालक्ष्मी गार्डन पार्ट 1 गुड़गांव तहसील व जिला गुड़गांव हरियाणा

—अप्रार्थिगण

अन्तर्गत धारा 128,111 एल. आर. एक्ट
प्रार्थी की ओर से :— श्री महेन्द्र कुमार रेबारी
अप्रार्थी की ओर से :— पैरोकार सरकार।

दिनांकः— 28.06.2024

—:आदेशः—

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना—पत्र पेश किया गया है कि ग्राम डांगाहेडी पटवार हल्का उतराना तहसील इन्द्रगढ़ कृषि भूमि खाता संख्या 46 खसरा संख्यान 796/10 रकबा 1.00है0, 796/11 रकबा 0.48है0, 796/4 रकबा 1.00है0, 796/8 रकबा 0.32है0, 806 रकबा 0.48है0, 807 रकबा 0.32है0 कुल किता 6 रकबा 3.60है0 तथा खाता संख्या 300 खसरा संख्यान 796/3 रकबा 1.6है0, 796/5 रकबा 0.32है0, 796/7 रकबा 0.32है0, 796/9 रकबा 0.64है0, 797 रकबा 0.4है0, 799 रकबा 0.53है0, 804 रकबा 0.69है0 कुल किता 7 कुल रकबा 4.5है0 तथा खाता संख्या 299 खसरा संख्यान 796/2 रकबा 1.54है0, 796/6 रकबा 0.8है0 कुल खसरे 2 कुल रकबा 2.34है0 जो खातेदारी हक से दर्ज रिकॉर्ड होकर प्रार्थी व अप्रार्थी सं 2 की सहखातेदारी एवं कब्जेकाश्त की है। जिसकी पत्थरगढ़ी करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की कृषि भूमि के समीप ही अन्य कृषि भूमि है जिसके कारण प्रार्थी की कृषि भूमि दबी हुई है जिसके कारण आस–पास के पडौसी खातेदार द्वारा प्रार्थी की कृषि भूमि पर कब्जा करने की संभावना है और प्रार्थी की कुछ भूमि सिकुड़ी हुई है जितनी कृषि भूमि प्रार्थी के खाते में है उतनी कृषि भूमि मौके पर नहीं है। प्राथी व अअप्रार्थी सं 2 द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि का पूर्व में सीमाज्ञान करवाये जाने हेतु अप्रार्थी सं 1 को निवेदन किया था किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी। प्रार्थी की खातेदारी एवं व कब्जे की कृषिभूमि के पडोसी खातेदार प्रार्थी की कृषि भूमि पर अतिक्रमण कर प्रार्थीगण की सीमाओ को मिटाना चाहते हैं। सीमांकन के संबंध में कोई वाद विवाद उत्पन्न न हो व प्रार्थी की कृषिभूमि सुरक्षित रहे इस कारण पत्थरगढ़ी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी को सुना तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का निरीक्षण किया– प्रार्थी उक्त आराजीयात जैर बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हें आराजीयात जैर बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। पत्रावली में उपस्थित जमाबंदी सम्वत् 2074–77 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित कृषि भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार है जिन्हे अपनी खाते कृषि भूमि का सीमांकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाने अधिकार प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थिगण को नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थी की तरफ से पेरोकार सरकार उपस्थित हुए प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना प्रत्र पर सहमति व्यक्त की गई। अप्रार्थी सं 2 ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाकर पत्थरगढ़ी करने की सहमति प्रस्तुत की। पत्रावली पर बहस सुनी गई। उभयपक्ष बहस समाहत पत्रावली की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथ्यों पर मनन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दौहराव करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि का सीमांकन कर पत्थरगढ़ी करने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। तहसीलदार इन्द्रगढ़ को प्रकरण हाजा में कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम डांगाहेडी पटवार हल्का उतराना तहसील

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बूंदी)

इन्द्रगढ़ कृषि भूमि खाता संख्या 46 खसरा संख्यान 796/10 रकबा 1.00है0, 796/11 रकबा 0.48है0, 796/4 रकबा 1.00है0, 796/8 रकबा 0.32है0, 806 रकबा 0.48है0, 807 रकबा 0.32है0 कुल किता 6 रकबा 3.60है0 का टीनेन्ट खातेदार तथा खाता संख्या 300 खसरा संख्यान 796/3 रकबा 1.6है0, 796/5 रकबा 0.32है0, 796/7 रकबा 0.32है0, 796/9 रकबा 0.64है0, 797 रकबा 0.4है0, 799 रकबा 0.53है0, 804 रकबा 0.69है0 कुल किता 7 कुल रकबा 4.5है0 तथा खाता संख्या 299 खसरा संख्यान 796/2 रकबा 1.54है0, 796/6 रकबा 0.8है0 कुल खसरे 2 कुल रकबा 2.34है0 जिसका सहखातेदार टीनेन्ट प्रार्थी है। जिसके राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज है। जो खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थी के खातेदारी हक दर्ज रिकार्ड की फरिकेन मुकदमा उभयपक्ष को सूचित कर उभयपक्ष की उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसार बिना कब्जे में दखल दिये नपती की जाकर सही सीमा चिन्ह स्थापित किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी की जावे एवं मौके पर कोई विवाद हो तो पुनः न्यायालय में पेश करें। पर्चा मौका एवं मौका ट्रेस इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे। कमिश्नर फीस 1000/- रूप्ये अक्षरे एक हजार रुपये प्रार्थिगण से वसूल किये जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 28.06.2024 को खुले न्यायालय के इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)